भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न सं. †1140
सोमवार, 2 दिसम्बर, 2024/11 अग्रहायण, 1946 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

एसडीएस के अंतर्गत जनजातीय होम स्टे का कार्यान्वयन

†1140. श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टीः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनजातीय होम स्टे-स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत निधियन हेतु जनजातीय परिवारों और गांवों का चयन करने के लिए अपनाए गए मानदंडों और लाभार्थियों की पहचान और चयन हेतु अपनाई गई प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत जनजातीय होम स्टे की संभावना वाले चिह्नित गांवों का राज्य-वार विशेषकर आन्ध्र प्रदेश का ब्यौरा क्या है;

(ग) वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए स्थापित किए जाने वाले होम स्टे की संख्या के लिए निर्धारित लक्ष्य और तद्नुरूपी राज्य-वार निधियों के आवंटन का ब्यौरा क्या है और अब तक जारी की गई कुल धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) योजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चालू वर्ष तक निर्मित, पुनरुद्धार और चालू किए गए होम स्टे की संख्या कितनी है; और

(ङ) जनजातीय परिवारों और समुदायों को प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण प्रदान करने और होम स्टे की सततता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (ङ): सरकार ने हाल ही में 'प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान' के भाग के रूप में पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत जनजातीय होमस्टे को विकसित करने संबंधी पहल को स्वीकृति प्रदान की है। उक्त पहल में प्रति इकाई 5 लाख रुपये (नए निर्माण के लिए), 3 लाख रुपये (नवीकरण के लिए) और ग्राम समुदाय की आवश्यकता हेतु 5 लाख रुपये की सहायता के साथ 1000 होमस्टे का विकास शामिल है। पहल के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

इन योजनाओं को केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के परामर्श सहित निर्धारित दिशा-निर्देशों, समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी नियम एवं विनियम के अनुसार कार्यान्वित किया जाता है।

*****